प्रस्तुत वाद ग्राम न्यायालय अधिनियम अंतर्गत ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि इस वाद का मूल अभिलेख सम्बंधित ग्राम न्यायालय में हस्तांतरित करें एवं इसकी सूचना सचिव, ग्राम न्यायालय को निर्गत करें। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे अब इस वाद के विचारण हेतु ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। इस आधार पर इस वाद का निष्पादन किया जाता है। आदेश अभिलेख के साथ संलग्न है।

अपर मुख्य न्या0 दण्डाधिकारी
अनु0 व्यवहार न्यायालय गोगरी